महत्वपूर्ण

संख्या 1708/26-3-81-7(21)/80

प्रेषक

श्री चन्द्र कुमार वर्मा;
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त
एवं विकास निगम लिमिटेड,
लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 1981

विषय:—अनुसूचित जातियों की सहकारी समितियों को कुटीर उद्योगों हेतु अनुमन्य अनुदान ।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर आपके अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 4466/जी0 एम0 (स0 वि0)/3-81, दिनांक 23-6-81 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साझेदारी को सहकारिता का पर्याय नहीं माना जा सकता जिसके कारण आपका यह सुझाव अमान्य है कि यदि कुछ व्यक्ति मिलकर साझेदारी में कुटीर उद्योग चलायें तो उन्हें अधिक दर से मार्जिन मनी ऋण तथा अनुदान दिया जाय ।

2—इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या 7352/26-7(69)/74, दिनांक 4-2-1975 द्वारा यह निदेश दिए गए थे कि कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शायी गयी लागत का 50% जो किसी एक लाभार्थी की दशा में रु0 3,000 और किसी सहकारी समिति की दशा में रु0 10,000 से अधिक न हो, अनुदान निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य है:—

(1) प्रस्तावित कुटीर उद्योग की विधिवत प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए।

(2) अनुदान यथा संभव नकद की बजाय मशीन अथवा कच्चे माल के रूप में दिया जाना चाहिए।

(3) अनुदान के साथ-साथ बैंक ऋण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) जो मशीन अथवा कच्चे माल के रूप में अनुदान दिया जाय उसको बैंक में प्लैज करा दिया जाए।

(5) लाभार्थी से एक शर्तनामा भराया जाए जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि यदि अनुदान जिस उद्देश्य के लिये दिया गया है उस पर नहीं व्यय किया गया तो शासन द्वारा वसूल किया जा सकता है।

(6) अनुदान एकमुश्त न देकर प्रगति के अनुसार किस्तों में दिया जाए और लाभार्थी का कुछ स्टेक जरूर रखा जाए।

(7) अनुदान के उपयोग पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उपयोग प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त करके पत्रावली में रखा जाए।

3—शासनादेश संख्या-2380/26-3-80-7(21)/80, दिनांक 10-9-1980 में व्यक्तिगत रूप से देय अनुदान को मार्जिन मनी ऋण से सम्बद्ध किया गया है जिसके फलस्वरूप 4 फरवरी, 1975, के ऊपर उल्लिखित शासनादेश में सहकारी समितियों को देय अनुदान की राशि और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वे अब भी प्रभावी हैं। सहकारी समितियों को मार्जिन मनी ऋण अनुमन्य नहीं है क्योंकि वह योजना के लिए ऋण ले सकते हैं और कुछ अपना धन लगाना भी आवश्यक है जिससे कि उनका अपना स्टैक रहे।

4—तथापि यह उल्लेख्य है कि महालेखाकार ने आडिट रिपोर्ट में यह बात शासन के ज्ञान में लायी है कि पूर्व में निगम मुख्यालय से अनेक लाभार्थियों को अनुदान बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त किए स्वीकृत कर दिए थे और जिनमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी उनमें केवल अनुमानित व्यय दिया था जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रस्तावित उद्योग की वायबिलिटी (उदाहरणार्थ, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद का विपणन आदि) की पूरी मीमांसा होनी चाहिए। आडिट ने यह भी आपत्ति की है कि सभी मामलों में अनुदान नकद और एकमुश्त दिया गया था और उसके उपयोग का प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किया गया। यह भी नहीं देखा गया कि योजना में बैंक से ऋण मिला कि नहीं। चूंकि अब आर्थिक सहायता का वितरण का अधिकार जिला स्तर पर विकेन्द्रित हो चुका है, अतः यह अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियों (ह0 क0) पदेन जिला प्रबन्धकों को यह कड़े निदेश दे दिए जायें कि वे सहकारी समितियों को कुटीर उद्योग धन्धों के लिये अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व और उसके पश्चात् के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 1708(1)/26-3-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, एच-1, पार्क रोड, लखनऊ।

(2) समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (ह0 क0), उत्तर प्रदेश।

(4) आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जन जाति, उत्तर प्रदेश, वजीर हसन रोड, लखनऊ।

(5) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, ई0 सी0 पी0 ए0 सेक्शन, इलाहाबाद।

(6) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश कामर्शियल आडिट विंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

———